सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सुधार परिपत्र सं.6

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

सं.सी-06/2011-एमपीलैड्स

Dated 8 जुलाई, 2011

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव
आयुक्त नगर निगम, दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त,
सभी जिले ।

विषयः **एमपीलैड्स निधि से स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की खरीद के बारे में स्पष्टीकरण - एमपीलैड्स निधि से जारी की जाने वाली धनराशि पर मौद्रिक सीमा लगाना ।**

महोदय/महोदया,

यह पत्र इस मंत्रालय के दिनांक 18.05.2011 के पत्र सं. सी-06/2011-एमपीलैड्स के क्रम में है जिसमें उस धनराशि पर मौद्रिक सीमा बढ़ाई गई थी जिसे कोई सांसद केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु अपनी एमपीलैड्स निधि से स्वीकृत कर सकता है ।

2. एमपीलैड्स निधि के बढ़े हुए आबंटन को दृष्टिगत रखते हुए, मामले की आगे जाँच की गई है । मंत्रालय ने मेरिट आधार पर निर्णय किया है कि उस धनराशि पर मौद्रिक सीमा को और अधिक बढ़ा दिया जाए जिसे कोई सांसद केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु अपनी एमपीलैड्स निधि से स्वीकृत कर सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

(i)	मिडिल स्तर तक के स्कूलों हेतु पुस्तकों की खरीद	-	6 लाख रु. तक
(ii)	हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूलों हेतु पुस्तकों की खरीद	-	8 लाख रु. तक
(iii)	कॉलेजों/अन्य तकनीकी संस्थानों/आईटीआई/ सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की खरीद	-	8 लाख रु. तक

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, कोई सांसद स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए अपनी एमपीलैड्स निधि से 22 लाख रु. तक की धनराशि की प्रतिवर्ष सिफारिश कर सकता है ।

4. स्कूलों, कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थाओं आदि के लिए पुस्तकों की खरीद की सिफारिश करते हुए, किसी विशेष स्कूल/कॉलेज/अन्य तकनीकी संस्थाओं/आईटीआई/पुस्तकालयों के लिए निम्नलिखित मौद्रिक सीमा का पालन किया जाएगा:-

(i)	मिडल स्कूल स्तर तक	- 10,000 रु./-
(ii)	हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्तर तक	- 25,000 रु./-
(iii)	कॉलेज/अन्य तकनीकी संस्थाओं/आईटीआई/ पुस्तकालयों के लिए	- 50,000 रु./-

ये स्कूल/कॉलेज/संस्थान अगले वर्ष में पुस्तकों की सिफारिश के पात्र नहीं होंगे । किन्तु तीसरे वर्ष में पुनः ये इसके पात्र होंगे ।

5. माननीय सांसदों द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच/उनका अनुमोदन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) ज़िला शिक्षा अधिकारी - अध्यक्ष
(ii) ज़िला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी के एक प्रतिनिधि;
(iii) दो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक; तथा
(iv) स्कूल/कॉलेज/संस्थान के सहयोजित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य जिन्हें पुस्तकों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है ।

6. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

शुभेच्छु

(ए.के. चौधरी)
निदेशक (एमपीलैड्स)
फोनः 23344933

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारियों को ।
5. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर डालने हेतु ।